कार्यालय, प्रधानाचार्य बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर।

संख्या /बीआरजी/एमसी–23/ईसी–4, दिनांकः17 नवंबर 2023

नियुक्ति आदेश

इस कार्यालय विज्ञप्ति सूचना सं0 56/बीआरजी/एमसी–23 दिनांक 30 सितम्बर 2023 जोकि बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर के बालरोग विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत संविदा के तहत स्टेट रिसोर्स सेंटर हेतु नर्सिंग कोऑर्डिनेटर एवं एडमिनिस्ट्रेटिव कम डेटा असिस्टेन्ट के एक–एक पद संविदा के आधार पर चयन हेतु पदों को विभिन्न समाचार पत्रों एवं कालेज वेबसाइड पर विज्ञापित/अपलोड किया गया था।

तत्क्रम में उक्त विज्ञापित पदों पर साक्षात्कार की निर्धारित तिथि दिनांक 08.11.2023 को बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर, प्रधानाचार्य कार्यालय कमेटी कक्ष में आवेदित अभ्यर्थीयों का साक्षात्कार चयन कमेटी द्वारा लिया गया।

साक्षात्कारोपरान्त कमेटी द्वारा निम्न अभ्यर्थीयों को अर्ह पाते हुए नियुक्ति की कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	पद नाम	मासिक मानदेय
01	नीतू यादव	श्री रामानन्द यादव	मकान नं0–बी0–264, राप्तीनगर, फ़ेज–4, गोरखपुर। पिन–273013, मो0नं0–9453647361	नर्सिंग कोऑर्डिनेटर	रू0 40,000/–
02	श्री धर्मेन्द्र चौधरी	स्व0 प्रहलाद चौधरी	सी–280,राप्ती नगर चतूर्थ चरण, चरगॉवा, गोरखपुर पिन–273013 मो0नं0– 9452109464	एडमिनिस्ट्रेटिव कम डेटा असिस्टेन्ट	रू0 25,000/–

नियम एवं शर्तेः–

1. उपरोक्त अभ्यर्थीयों की तैनाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत स्टेट रिसोर्स सेन्टर हेतु उक्त तालिका में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख पद पर निर्धारित मासिक मानदेय के अनुसार संविदा के आधार पर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में 01 वर्ष अथवा योजना समाप्त होने की तिथि जो भी पहले घटित हो तक की अवधि के लिए की जाती है।
2. चयनित अभ्यर्थीयों के नाम के सम्मुख निर्धारित मासिक मानदेय के अनुसार एवं समय–समय पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) द्वारा अनुमन्य वार्षिक वेतन वृद्धि जो भी अनुमन्य हो, देय होगा।
3. यदि आपकी सेवायें संतोषजनक नहीं पायी जाती है एक माह की नोटिस देकर आपकी संविदा सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
4. आपको प्रतिदिन चिकित्सालय के समयानुसार कार्य करना होगा। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उक्त दिवस का संविदा मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि उच्चाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान 03 बार बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाते है तो आपकी संविदा नियुक्ति अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

6. यदि आप किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कार्यस्थल पर एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहतें है तो आपकी संविदा नियुक्ति अनुपस्थित तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. आपके इस संविदा कालावधि के लिए कोई भी पेंशन संबंधी सुविधायें अनुमन्य नहीं होगी और न ही आप इसके लिए हकदार होगें। आपको बोनस आदि देय न होगा और न ही अनुमन्य है।
8. आप किसी भी दशा में शासकीय सेवाओं में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगे/और न ही आप हकदार होंगे।
9. आप निष्पादित किये गये अनुबन्ध पत्र पर पूर्णतः अनुपालन करेंगे, यदि आप उपरोक्त का अनुपालन नहीं करेंगे तो आपका अनुबंध पत्र स्वतः समाप्त हो जायेगा।
10. आप संविदा के नियमों/उच्चाधिकारियों के आदेश का पूर्णतः अनुपालन करेंगे, यदि आपके कार्य हेतु कर्तव्य एवं दायित्व जो निर्धारित है उसका पूर्णतः पालन करना होगा।
11. यदि आप द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले कार्यो में शिथिलता पाई गयी तो चेतावनी दी जायेगी तथा उसके बाद भी वही शिथिलता पाई गयी तो अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।
12. आपकी संविदा सेवा कभी भी किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस के समाप्त की जा सकती है।
13. आपको रोस्टर के अनुसार कार्य करने होगे तथा प्रभारी अधिकारी/विभागाध्यक्ष के सहमति से आकस्मिक/चिकित्सा अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14) अनुमन्य होगा तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।
14. किसी भी तरह के हड़ताल धरना आदि में भाग नहीं लेगें।
15. अपने पद से त्याग पत्र देने पर एक माह ही पूर्व सूचना देना होगा अन्यथा आदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अंतिम मानदेय रोक दिया जायेगा।
16. कार्यभार ग्रहण करते समय रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टैम्प पर उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को एक सप्ताह के अन्दर अपना कार्य योगदान सूचना प्रस्तुत कर कार्य करना प्रारम्भ करें।

(प्रधानाचार्य)
मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या 1075/तद् दिनॉक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
4. विभागाध्यक्ष, बालरोग विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर।
5. नोडल अधिकारी स्टेट रिसोर्स ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर द्वारा विभागाध्यक्ष बालरोग विभागाध्यक्ष, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर।
6. मण्डलीय समन्वयक, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।
7. श्री धर्मेन्द्र चौधरी, पुत्र स्व0 प्रहलाद चौधरी,सी–280,राप्ती नगर चतूर्थ चरण, चरगॉवा, गोरखपुर पिन–273013,मो0नं0–9452109464
8. श्रीमती नीतू यादव पुत्री श्री रामानन्द यादव,मकान नं0–बी0–264, राप्तीनगर, फ़ेज–4, गोरखपुर। पिन–273013, मो0नं0–9453647361
9. कालेज वेबसाइट।

(प्रधानाचार्य)
मेडिकल कालेज, गोरखपुर।